पत्रांक- 3ए-9-विविध-04/2019- **512** /वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:-17/01/2020

विषय:- **दिनांक-11/12/1990 तक कार्यभारित स्थापना में नियुक्त एवं लगातार 10 वर्षों या उससे अधिक अवधि तक कार्यभारित स्थापना में कार्यरत रहने के उपरान्त पुन: दैनिक श्रमपुस्त पर प्रत्यावर्तित हुए कर्मी, जो श्रमपुस्त पर मृत/सेवानिवृत हो गये, को वित्त विभागीय संकल्प संख्या-5547, दिनांक-03/07/2019 में निहित प्रावधानों का लाभ अनुमान्य किये जाने के संबंध में।**

वित्त विभागीय संकल्प सं०-5547, दिनांक-03/07/2019 के द्वारा दिनांक-11/12/1990 तक कार्यभारित स्थापना में नियुक्त एवं दिनांक-17/10/2013 के पूर्व बिना नियमित हुए कार्यभारित स्थापना में ही सेवानिवृत/मृत कर्मियों को LPA No. 166/2018 (मोबिना खातून) एवं LPA No. 289/2018 (सोनिया देवी वगैरह) में दिनांक-04/02/2019 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सम्पूर्ण पीठ द्वारा पारित आदेश के आलोक में पेंशन/परिवार पेंशन दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. कार्य विभाग में कई ऐसे कर्मी जो दिनांक-11/12/1990 तक कार्यभारित स्थापना में नियुक्त हुए और उनके द्वारा कार्यभारित स्थापनान्तर्गत कार्यरत रहते हुए लगातार 10 वर्षो की संतोषप्रद सेवा पूर्ण की गयी, परन्तु कालान्तर में कार्यभारित स्थापना में की गई नियुक्ति तत्समय प्रवृत्त वित्त विभागीय संकल्पों/परिपत्रों में वर्णित प्रावधानों के प्रतिकूल रहने के कारण वे श्रमपुस्त पर प्रत्यावर्तित किये गये एवं दिनांक-17/10/2013 के पूर्व प्रत्यावर्तित दैनिक श्रमपुस्त कर्मी के रूप में कार्यरत रहते हुए मृत/सेवानिवृत हो गये। मृत्यु/सेवानिवृत की तिथि को प्रत्यावर्तित श्रमपुस्त कर्मी के रूप में कार्यरत रहने के कारण वे वित्त विभागीय संकल्प संख्या-5547, दिनांक-03/07/2019 में निहित प्रावधानों के आलोक में पेंशन/पारिवारिक पेंशन के लाभ हेतु आच्छादित नहीं हो पा रहे है।

3. उक्त मामले से सम्बन्धित माननीय उच्च न्यायालय, पटना के विभिन्न आदेशों के बाध्यकारी अनुपालन का विषय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

4. **सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि-** दिनांक-11/12/1990 तक कार्यभारित स्थापना में नियुक्त एवं लगातार 10 वर्षों या उससे अधिक अवधि तक कार्यभारित स्थापना में कार्यरत रहने के उपरान्त पुन: दैनिक श्रमपुस्त पर प्रत्यावर्तित हुए कर्मी, जो श्रमपुस्त पर ही मृत/सेवानिवृत हो गये, को मृत्यु/सेवानिवृति की तिथि से नियमितीकरण

करते हुए वित्त विभागीय संकल्प संख्या-5547, दिनांक-03/07/2019 में निहित प्रावधानों का लाभ अनुमान्य होगा। इस क्रम में उक्त प्रत्यावर्तित अवधि का कोई आर्थिक लाभ देय नहीं होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0/-

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक-3ए-9-विविध-04/2019-**512/वि०** पटना, दिनांक-**17/01/2020**

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं हक०) का कार्यालय, वीरचंद पटेल पथ, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक-3ए-9-विविध-04/2019-**512/वि०** पटना, दिनांक-**17/01/2020**

प्रतिलिपि- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, बिहार विधान सभा / सचिव, बिहार विधान परिषद्, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक-3ए-9-विविध-04/2019-**512/वि०** पटना, दिनांक-**17/01/2020**

प्रतिलिपि- सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सभी सचिव/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी कोषागार पदाधिकारी / सभी जिला लेखा पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग /अवर सचिव, वेतन निर्धारण प्रशाखा / सिस्टम एनालिस्ट (वित्त विभाग के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु) / प्रभारी ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।